न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 79/2021 Gcms No. 2021/198

दायरा तिथि : 08.09.2021

प्राथमिक डिक्री दिनांकः 08.03.2022 फाईनल डिक्री दिनांक 28-3-2022

वादी :–

श्री छेलसिंह पुत्र श्री मानसिंह जाति राजपुत
निवासी बिशनगढ तहसील जालोर जिला जालोर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अम्बालाल पुत्र विसरामभाई जाति पटेल
निवासी पटेल केम्पा बिसलपुर हाल वजापुर कम्पा, पोस्ट बोल्डी टिम्बा आकरूणा
तहसील बायड, जिला अरवली (गुजरात)
2. नरसी भाई पुत्र विसरामभाई जाति पटेल
निवासी पटेल केम्पा बिसलपुर हाल वजापुर कम्पा, पोस्ट बोल्डी टिम्बा आकरूणा
तहसील बायड, जिला अरवली (गुजरात)
3. मेगजी भाई पुत्र वालजी भाई जाति पटेल
निवासी पटेल केम्पा– बिसलपुर हाल डिडिया कम्पा, तालुका खेडब्रह्मा
वाया– खेडब्रह्मा, जिला साबरकांटा (गुजरात)
4. मृत वालजी भाई पुत्र भीमजी भाई जाति पटेल के वारिशानः–
4/1 भगवानदास पुत्र वालजी भाई जाति पटेल
निवासी पटेल केम्पा बिसलपुर हाल कन्जली कम्पा, सरोई रोड,
वाया वडाली पोस्ट वडाली, जिला सांभरकाट (गुजरात)
5. मधु पत्नि रमेश जाति जैन
निवासी श्रीनाथ होटल, कोर्ट चौराया के पास उदयपुर (राज0)
6. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1.श्री रताराम राठौड.............................. अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ....अनुपस्थित।
3. पेरोकार सरकार ....

–:: निर्णय ::– दिनांक : 28-3-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 127 रकबा 20.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 143.08 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/14 हिस्सा एवं रेकर्ड में दर्ज अन्य सह खातेदार प्रतिवादीगण के मध्य रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति एवं नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई।

प्रकरण में वर्णित प्रतिवादी तहसील क्षैत्र के बाहर के निवासी तथा कुछ प्रतिवादीगण गुजरात राज्य में निवासरत होने से प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में वर्णित समस्त प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होने के बावजुद वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। वाद प्रस्तुती के पश्चात् वादी द्वारा रेकर्ड में दर्ज 1/14 हिस्सा के सह खातेदार जीवराज भाई पुत्र प्रेमजी भाई के वारिशान श्यामजी भाई पुत्र जीवराज भाई एवं विजयाबेन पुत्री जीवराज भाई का संपुर्ण 1/14 हिस्सा दिनांक 10.11.2021 को खरिद करने एवं इसी प्रकार **रेकर्ड में दर्ज 1/14 हिस्सा के सह खातेदार गोविन्द भाई पुत्र जीवराज भाई के तमाम वारिशान दिनेश पुत्र गोविन्द भाई, दयाराम पुत्र गोविन्द भाई, जयाबेन पत्नि गोविन्द भाई व हंसा बेन पुत्री गोविन्द भाई का संपुर्ण 1/14 हिस्सा दिनांक 10.11.2021 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से खरीद** किया गया। इस प्रकार **वादी का वादग्रस्त भूमि में कुल 1/14 + 1/14+1/14) =3/14 हिस्सा नियत** हुआ। रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकृत होकर वादी का 3/14 अधिकार अभिलेखो में दर्ज हुआ, जिसकी पुष्टि में वादी द्वारा नवीन जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रस्तुत करते हुये संशोधित वादपत्र पेश किया। दिनांक 08.03.2022 को अधिवक्ता वादी द्वारा संशोधित वाद पत्र, एवं नवीन राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादी का 3/14 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का पृथक–पृथक 1/14, 1/14 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 05 का 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई। जिस पर वकुलाय की बहस के पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2022 को रेकर्ड में दर्ज वादी का 3/14 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो के मध्य विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2021/3252 दिनांक 23.03.2022 से निम्नानुसार विभाजन रिपोर्ट पेश की गई:–

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 79/2021 Gcms No. 2021/198

छेलसिंह बनाम अम्बालाल वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शा में दर्शित रंग
1	छेलसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत सा. बिशनगढ, जालोर खातेदार	127	4.38	बारानी अव्वल	30.66	नीला
2	नरसीभाई पुत्र बिसरामभाई जाति पटेल सा. देह फार्म नं. 146/1606 मधु पत्नी रमेश जाति जैन सा. उदयपुर खातेदार 1022/1606 मेगजीभाई पुत्र वालजी भाई जाति पटेल सा. देह फार्म नं. खातेदार 146/1606 अम्बालाल पुत्र विसरामभाई जाति पटेल सा. देह फार्म नं. खातेदार 146/1606 मृत वालजीभाई पुत्र भीमजी जाति पटेल सा. पटेल कम्पा बिसलपुर हाल वडाली गुजरात क वारीशान 146/1606	127/1	16.06	बारानी अव्वल	112.42	भूरा

तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी ने विभाजन रिपोर्ट के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की। वकील वादी द्वारा विभाजन रिपोर्ट के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त करने से पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू.अ./2021/3252 दिनांक 23.03.2022 से प्रेषित रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 127 रकबा 20.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 143.08 रूपये के संबध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः—

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शा में दर्शित रंग
1	छेलसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत सा. बिशनगढ, जालोर खातेदार	127	4.38	बारानी अव्वल	30.66	नीला
2	नरसीभाई पुत्र बिसरामभाई जाति पटेल सा. देह खातेदार हि. 146/1606 मधु पत्नी रमेश जाति जैन सा. उदयपुर खातेदार हि. 1022/1606 मेगजीभाई पुत्र वालजी भाई जाति पटेल सा. देह खातेदार हि.146/1606 अम्बालाल पुत्र विसरामभाई जाति पटेल सा. देह खातेदार हि. 146/1606 मृत वालजीभाई पुत्र भीमजी जाति पटेल सा. पटेल कम्पा बिसलपुर हाल वडाली गुजरात के वारीशान हि. 146/1606	127/1	16.06	बारानी अव्वल	112.42	भूरा

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार.....03

Scanned with CamScanner

//03//

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 79/2021 Gcms No. 2021/198

छेलसिंह बनाम अम्बालाल वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार ,बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 143.08 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बिसलपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

((सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)

आई.ए.एस.

प्रदेन सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी

बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28-3-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रदेन सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी

बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

वादी :–
श्री छेलसिंह पुत्र श्री मानसिंह जाति राजपुत
निवासी बिशनगढ तहसील जालोर जिला जालोर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अम्बालाल पुत्र विसरामभाई जाति पटेल
   निवासी पटेल केम्पा बिसलपुर हाल वजापुर कम्पा, पोस्ट बोल्डी टिम्बा आकरूणा
   तहसील बायड, जिला अरवली (गुजरात)
2. नरसी भाई पुत्र विसरामभाई जाति पटेल
   निवासी पटेल केम्पा बिसलपुर हाल वजापुर कम्पा, पोस्ट बोल्डी टिम्बा आकरूणा
   तहसील बायड, जिला अरवली (गुजरात)
3. मेगजी भाई पुत्र वालजी भाई जाति पटेल
   निवासी पटेल केम्पा– बिसलपुर हाल डिडिया कम्पा, तालुका खेडब्रह्मा
   वाया– खेडब्रह्मा, जिला साबरकांटा (गुजरात)
4. मृत वालजी भाई पुत्र भीमजी भाई जाति पटेल के वारिशानः–
   4/1 भगवानदास पुत्र वालजी भाई जाति पटेल
   निवासी पटेल केम्पा बिसलपुर हाल कन्जली कम्पा, सरोई रोड,
   वाया वडाली पोस्ट वडाली, जिला सांभरकाट (गुजरात)
5. मधु पत्नि रमेश जाति जैन
   निवासी श्रीनाथ होटल, कोर्ट चौराया के पास उदयपुर (राज0)
6. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 79/2021 Gcms No. 2021/198
वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू.अ./2021/3252 दिनांक 23.03.2022 से प्रेषित रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 127 रकबा 20.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 143.08 रूपये के संबध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शा में दर्शित रंग
1	छेलसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत सा. बिशनगढ, जालोर खातेदार	127	4.38 हैक्टर	बारानी अव्वल	30.66	नीला
2	नरसीभाई पुत्र बिसरामभाई जाति पटेल सा. देह खातेदार हि. 146/1606 मधु पत्नी रमेश जाति जैन सा. उदयपुर खातेदार हि. 1022/1606 मेगजीभाई पुत्र वालजी भाई जाति पटेल सा. देह खातेदार हि.146/1606 अम्बालाल पुत्र विसरामभाई जाति पटेल सा. देह खातेदार हि. 146/1606 मृत वालजीभाई पुत्र भीमजी जाति पटेल सा. पटेल कम्पा बिसलपुर हाल वडाली गुजरात के वारीशान हि. 146/1606	127/1	16.06 हैक्टर	बारानी अव्वल	112.42	भूरा

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.

Scanned with CamScanner